आर.टी.आई.- आवेदन कैसे करें

1. प्रस्तावना

भारत का कोई भी नागरिक, जो सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत कोई सूचना प्राप्त करना चाहता है, **<u>लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी</u>** को, वरीयता **<u>आवेदन प्रारूप में</u>** लिखित अथवा इलेक्ट्रोनिक तरीके के अनुरोध कर सकता है।

2. आवेदन शुल्क

आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 6 के उपनियम (1)के तहत सूचना पाने के लिए आवेदन के साथ रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन के पक्ष में आवेदन जमा करने के स्थानीय कार्यालय पर देय फीस भेजना अनिवार्य है।

मौजूदा आवेदन शुल्क, जो समय-समय पर परिवर्तनीय है, निम्नानुसार हैः-

आवेदन शुल्क	र. 10 (केवल 10 रपए)
भुगतान का तरीका	नकद देकर रसीद प्राप्त करें अथवा डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/इंडियन पोस्टल आर्डर, द्वारा जो रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि. के पक्ष में या इसके स्थानीय कार्यालय, (जहां आवेदन प्रस्तुत किया जाना है)पर देय हों।

गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आवेदन शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है बशर्ते कि इसके समर्थन में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए ।

3.अतिरिक्त शुल्क

यदि सूचना देना तय कर लिया जाता है तो आवेदक को मांगी गई सूचना के लिए आवश्यक अतिरिक्त शुल्क जमा कराने के लिए सूचित किया जाएगा और अधिनियम के तहत अनुरोधकर्त्ता द्वारा शुल्क जमा कराने के बाद ही सूचना दी जाएगी।

उEपर उल्लिखित गजट अधिसूचना दिनांक 16.9.2005 में दिए गए निर्देशों के अनुसार धारा 7 की उपधारा (1)के तहत सूचना देने के लिए अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। मौजूदा लागू दरें, जो समय-समय पर परिवर्तनीय हैं, नीचे दी गई हैं ः-

(क) तैयार की गई अथवा प्रति प्रत्येक पृष्ठ (ए-4 अथवा ए-3 आकार के पेपर में)	र.2 प्रति पृष्ठ

(ख) बड़े आकार वाले पेपर में एक प्रति के लिए	वास्तविक प्रभार अथवा लागत मूल्य
(ग)नमूने अथवा मॉडल के लिए	वास्तविक लागत अथवा मूल्य
(घ)अभिलेखों की जांच के लिए	प्रथम घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं, इसके बाद 5र. प्रति घंटे

इसके अतिरिक्त धारा 7 की उपधारा(5)के तहत सूचना देने के लिए शुल्क निम्न दरों पर लिया जाएगा ः-

(क) डिस्क अथवा फ्लापी में सूचना देने के लिए	50 रपए प्रति डिस्क अथवा फ्लापी
(ख) छपे रूप में दी गई सूचना हेतु	उस प्रकाशन के लिए निर्धारित मूल्य पर अथवा र.2 प्रति पृष्ठ प्रकाशन के अंश से फोटो कापी

उEपर उल्लिखित अतिरिक्त शुल्क के भुगतान का तरीका वही होगा, जो आवेदन शुल्क अदायगी का है।

4. अपील

यदि आवेदक को धारा 7 की उपधारा(3) की उपधारा (1) या खंड(अ)में निर्दिष्ट समय के अंदर जवाब नहीं मिलता अथवा वह लोक सूचना अधिकारी के जवाब से असंतुष्ट है, जैसा भी मामला हो, तो इस अवधि की समाप्ति और ऐसे जवाब की प्राप्ति के 30 दिन के अंदर विभागीय **अपील अधिकारी** से अपील कर सकता है।

आवेदन का फार्मेट

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए

सेवा में,

सार्वजनिक सूचना अधिकारी/सहायक सार्वजनिक सूचना अधिकारी,

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड,

....

1. आवेदक का पूरा नाम(स्पट अक्षरों में) ....

2. पिता/पति का नाम(स्पट अक्षरों में) ....

3. पूरा पता ....

पिन कोड ....

4. टेलीफोन नं. कार्यालय .... आवास................मोबाइल ....

5. क्या गरीबी रेखा से नीचे के आवेदक हैं

(यदि हां, तो गरीबी रेखा से नीचे/

अंत्योदय राशन कार्ड की प्रति संलग्न करें (कृपया सही का निशान लगाएं)

ताकि आवेदन की फीस माफ की जा सके) हां................ नहीं ....

6. आवेदन फीस/अतिरिक्त फीस का ब्यौरा-

(आवेदन फीस 10/- रपए; अतिरिक्त फीस- सृजित या कॉपी किए गए ए-4 साइज के कागज के लिए 2/-रपए प्रति पृठ की दर से; नगद अथवा ”रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड” के पक्ष में काटा गया डीडी/बीसी/आईपीओ)

नकद प्राप्ति की रसीद/ डीडी/बैंकर्स चैक सं./ आईपीओ सं.	तारीख	जारी करने वाले बैंक/प्राधिकारी का नाम	राशि(रपए)

7. अपेक्षित सूचना का विवरण(यदि आवश्यक हो तो कृपया अपेक्षित सूचना के विशिट विवरण दर्शाते हुए वरीयता माध्यम, निरीक्षण, फोटोकापी, साफ्टकापी आदि की अलग शीट लगाएं)
....
....

घोषणा

मैं यह उल्लेख करता हू कि मांगी गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 और 9 में सन्निहित प्रतिबंध के अंतर्गत नहीं आती है तथा मेरी अधिकतम जानकारी के अनुसार यह आपके कार्यालय से संबंधित है।

स्थानः........... ...

दिनांक आवेदक के हस्ताक्षर